

फर्द अहकाम

राजस्व - पत्रावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

२ सन् २०११) किस्म मुकदमा १५

श्रीमती लक्ष्मीबाई बनाम श्री हरि

आदेशिका हस्ताक्षर/सूचना

०७ ^{०३}/_{२५} पत्रावली पेश हुई। न्यायालय स्वयं में ब्याट-ब्याट आवेजे लगेबाई गई परन्तु वादीगण व उनके आधिकार को ई उपाख्यत नहीं हुआ। लिहाजा प्रकरण अदालत पेशी/अदालत हाजरी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फौजल शुकाट ही पर नम्बर से भर दी। निर्णय हुये न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द

